बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 11 अंक 288

ऐंजल टैक्स की समीक्षा

आयकर अधिनियम की धारा 56(2) (7बी) के तहत ऐंजल टैक्स से छूट संबंधी मानदंडों को सुगम बनाने वाली अधिसूचना जारी होने से कई स्टार्टअप एवं निवेशकों को कुछ राहत मिलेगी। अप्रैल 2016 से प्रभावी होने वाला यह नियम कई आपत्तियों को भी संज्ञान में रखता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को 45 दिन के भीतर प्रत्येक आवेदन का आकलन करने के लिए कहा गया है। इस कदम का स्वागत किया जा सकता है लेकिन कुछ मुद्दों का समाधान जरूरी है।

स्टार्टअप में निवेश से जुड़ी वास्तविकताओं को लेकर पुख्ता कानूनी प्रावधान नहीं हैं। कुछ नियमों में ढील दी गई है लेकिन छूट के लिए आवेदन करने की विधि अब भी जटिल है और छूट देने या कर की मांग करने से जुड़े मामलों में अधिकारियों की मर्जी चलती है। छूट सीमा भी कम है क्योंकि यह 10 करोड़ रुपये कमाई करने वाली स्टार्टअप इकाइयों के लिए लागू होता है। निवेशक की परिभाषा में ढील की गुंजाइश नहीं है और नया स्पष्टीकरण भी हाल में आई विशेषज्ञ समिति की संकल्पना पर चुप्पी साधे हुए है। यह समिति छूट के लिए पात्रता शर्तों का अध्ययन कर सकती है।

ऐंजल टैक्स के साथ एक समस्या यह है कि यह नए कारोबार के 'उचित मूल्य' के इर्द-गिर्द घूमता है। अगर कर अधिकारी को लगेगा कि नए कारोबार की हिस्सेदारी 'उचित मूल्य' से अधिक पर हस्तांतरित हुई है तो वह कर की मांग कर सकता है। किसी नए असूचीबद्ध कारोबार के लिए उचित मूल्य तय करना असंभव है। किसी नए कारोबार का कोई पुराना लेखा-जोखा नहीं होता है और परिसंपत्तियों को लेकर भी पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, खासकर जब यह सेवा क्षेत्र से ताल्लुक रखता है। निवेशक आम तौर पर भविष्य में वृद्धि की संभावनाओं का आकलन कर नए उद्यम पर दांव लगाएंगे। इसका अनुमान लगाना नामुमकिन है कि कोई तय मूल्यांकन दमदार है भी या नहीं। छूट लेने की नई प्रक्रिया के तहत स्टार्टअप इकाई औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के जरिये सीबीडीटी को आवेदन देती है। विभाग के पास छूट की सिफारिशें करने का विशेष अधिकार है।

आवेदन की प्रक्रिया में तेजी जरूर लाई गई है लेकिन कुछ और आवश्यक उपाय करने की जरूरत है। निवेशकों को मान्यताप्राप्त होना चाहिए और उन्हें छूट चाहने वाली स्टार्टअप इकाई को रकम के स्रोत के बारे में अनिवार्य तौर पर बताना चाहिए। ज्यादातर निवेशक ऐसी सूचनाएं देने से कतराएंगे। लिहाजा यह बाधा सरीखे होगी और इससे छूट के लिए कम आवेदन आ पाएंगे। नई अधिसूचना में उसे निवेशक के तौर पर परिभाषित किया गया है जिनकी न्यूनतम शुद्ध हैसियत 2 करोड़ रुपये है और कम से कम एक बार 50 लाख रुपये का आय कर रिटर्न दाखिल किया है।

उचित मूल्य की परिभाषा को लेकर तस्वीर अब भी धुंधली है। स्टार्टअप और ऐंजल इन्वेस्टर को यह बताने में हमेशा दिक्कत आएगी कि किसी कारोबार का मूल्यांकन उन्होंने किस आधार पर किया है। स्टार्टअप का चोला पहनाकर शुरू की गई मुखौटा कंपनियों के जरिये धन शोधन रोकने पर नकेल कसने के लिए यह कानून अस्तित्व में आया था। यह उद्देश्य समझ में आता है लेकिन शन शोधन हो रहा है या नहीं यह पता करने के लिए उचित मूल्य उचित कोई मानदंड नहीं हो सकता। किसी वैध कारोबार पर निवेशकों की रकम के स्रोत का पता करने की जिम्मेदारी लादने को भी सही नहीं ठहराया जा सकता। ज्यादातर स्टार्टअप वैध हैं। 2012 में आयकर कानून में जोड़ी गई यह खास धारा भारतीय इकाई द्वारा किसी गैर-सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में उचित बाजार मूल्य से ऊपर होने वाले निवेश पर आय मानते हुए कर लगाता है। जब तक यह प्रावधान रहेगा तब तक योग्य निवेशक और उद्यमी आगे आने से कतराएंगे। अब इसकी समीक्षा का वक्त आ गया है।

बिनय सिन्हा

बिना किसी दूल्हे के शिवजी की बारात

देश में देवेगौड़ा जैसी चाहत रखने वाले नेताओं का उभार हो रहा है क्योंकि भूतपूर्व प्रधानमंत्री होना हर मायने में भूतपूर्व मुख्यमंत्री होने से बेहतर है

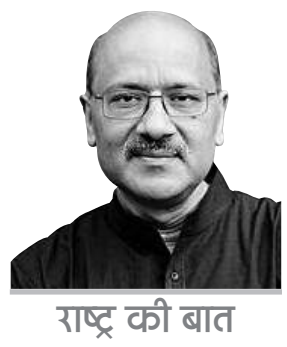

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

मैंने द इंडियन एक्सप्रेस में अपनी दो पारियों के दौरान 25 वर्ष से अधिक समय तक काम किया। उस संस्थान का एक मशहूर किस्सा आज आपसे साझा कर रहा हूं। एक प्रतिष्ठित साथी ने स्वर्गीय रामनाथ गोयनका से पूछा कि वह अपने संपादक के अनुबंध का विस्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? उस साथी ने कहा, 'वह संत व्यक्ति हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप उन्हें आगे काम पर जारी नहीं रखना चाहते।'

गोयनका ने जवाब दिया, 'भाई, मैं मानता हूं कि वे संत जॉर्ज वर्गीज हैं। परंतु मेरा इंडियन एक्सप्रेस भी शिवजी की बारात है, वह किसी संत से नहीं संभलने वाला।'

शिवजी की बारात सदियों पुराना रूपक है जिसका इस्तेमाल तमाम भूत-प्रेतों, औघड़-डायनों के जमावड़े के लिए किया जाता है जो अपने पसंदीदा नशे का सेवन करके मस्त हों। आप ही बताइए क्या आज भाजपा विरोधी विपक्षी दल ऐसे ही नहीं नजर आ रहे? इसके बावजूद अगर शिवजी की बारात कायदे और काबू में रही तो उसकी वजह थी भावी दूल्हे यानी भगवान शिव का कद और उनकी नेतृत्व क्षमता। इस आधुनिक संस्करण में हर बाराती भावी दूल्हा है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी और उनके रणनीतिकार हालिया राज्य चुनावों में हार के बावजूद मुस्करा रहे हैं।

आइए गिनती करते हैं। इनमें सबसे पहले कांग्रेस है, जिसका नेतृत्व नए-नए शिवभक्त बने राहुल गांधी के पास है। उसके बाद शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), एम के स्टालिन की द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक), लालू प्रसाद का राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और एचडी देवेगौड़ा का जनता दल सेक्युलर हैं। अगर राजग को पहला मोर्चा मान लें तो इसे दूसरा मोर्चा कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा अलग गठबंधन में लड़ रही हैं। लोकसभा चुनाव में वे भाजपा और कांग्रेस दोनों पर हमले करेंगी। सुविधा के लिए हम इन्हें तीसरा मोर्चा कह सकते हैं। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपनी ताकत दिखाई है। इस जुटान में कांग्रेस, सपा, बसपा तथा द्रमुक के अलावा चंद्रबाबू नायडू की तेदेपा और अरविंद केजरीवाल की आप समेत कई क्षेत्रीय नेता शामिल हैं। इसे चौथा मोर्चा माना जा सकता है।

इसके बाद नवीन पटनायक की बीजद, के चंद्रशेखर राव की टीआरएस और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी हैं, जो इन तमाम गुटों से बाहर हैं और अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद में हैं। अंत में नंबर आता है वाम दलों का जिन्हें कोई नहीं चाहता। आज देश में भाजपा विरोधी दलों की यही स्थिति है। मानो, शिवजी की बारात, वह भी बिना दूल्हे के।

ममता बनर्जी के मंच पर कांग्रेस और आप दोनों थे जबकि दिल्ली और पंजाब में उनमें जबरदस्त आपसी लड़ाई है। तेदेपा ने अब तक कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया है क्योंकि तेलंगाना में पराजय के बाद मत स्थानांतरण को लेकर अनिश्चितता है। सपा और बसपा उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस को शर्मिंदा करेंगी। पटनायक ने हमेशा की तरह अपने विकल्प खुले रखे हैं। क्षेत्रीय दलों में वही सबसे कमजोर वैचारिक रुझान वाले हैं। वह ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनकी मुस्लिम मतों पर निर्भरता नहीं है।

केसीआर खुद को प्रधानमंत्री पद का सबसे काबिल दावेदार मानते हैं। केरल में कांग्रेस और वाम के बीच प्रतिद्वंद्विता है। इन सभी दलों को केवल भाजपा विरोध ही एकजुट करता है। उनके बीच वैचारिक सामंजस्य नहीं है। कांग्रेस के अलावा इनमें से किसी दल के पास अपने दम पर 50 सीट जीतने का माद्दा भी नहीं है।

वे ज्यादा से ज्यादा यही आशा कर सकते हैं कि भाजपा 170 से कम सीटें जीते और कांग्रेस 100 के करीब। इसके बाद वे एक गठजोड़ बनाकर कांग्रेस से बाहरी समर्थन हासिल करेंगे। पिछली बार हमने ऐसा तब देखा था जब संयुक्त मोर्चे में देवेगौड़ा की सरकार बनी थी। अगर ऐसे चुनाव हुए तो इनमें से हर नेता अपने प्रधानमंत्री बनने की संभावना तलाशेगा, भले ही चंद रोज के लिए ही सही। आखिरकार भूतपूर्व प्रधानमंत्री होना हर लिहाज से भूतपूर्व मुख्यमंत्री कहलाने से बेहतर होगा। सन 1996 में दिवंगत कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत देवेगौड़ा को लाए थे, आज ऐसे संभावितों की पूरी फेहरिस्त तैयार है।

ऐसा लगता नहीं कि 2019 में देश वही दोहराएगा जो उसने 1996 में किया था। भाजपा नेताओं के चेहरे पर जो मुस्कान है, उसके पीछे यही भरोसा है। मोदी और उनके नीतिकार मानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव, हाल के विधानसभा चुनाव परिणामों या उपचुनाव नतीजों से एकदम अलग होंगे।

विपक्ष में एकता का अभाव है, वहां महत्त्वाकांक्षाओं का टकराव है, व्यक्तिगत अहम है और सामने केवल मोदी हैं। इन बातों ने भाजपा में यह भरोसा पैदा किया है कि यह चुनाव सन 1971 के इंदिरा बनाम अन्य की तरह होने वाला है। उस वक्त सभी का मानना था कि इंदिरा हार जाएंगी लेकिन इंदिरा हटाओ के खिलाफ गरीबी हटाओ के नारे के साथ उन्हें जबरदस्त जीत हासिल हुई थी।

मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ की तरह विधानसभा चुनावों में आप बिना मुख्यमंत्री पद के दावेदार के मैदान में उतर सकते हैं। मतदाताओं को पता होता है कि आपके दल में दो या तीन दावेदार हैं निजी वफादारी के क्षेत्र में कोई ध्रुवीकरण नहीं है। राष्ट्रीय चुनाव में यह कहना कठिन है कि हम मोदी से राज्य दर राज्य लड़ेंगे और साथ में आपस में भी उलझे रहेंगे। मोदी पलटकर पूछेंगे कि इनमें से आप का नया गौड़ा कौन है? वह ऐसा करने में सफल होंगे।

भाजपा जहां 2019 की तुलना 1971 से कर रही है, वहीं सच तो यह है कि उनके लिए दो वजहों से और अधिक बेहतर साबित हो सकता है। पहला, सन 1971 के उलट आज बहुत बड़ी तादाद में सीटें क्षेत्रीय दलों को जाएंगी। उनमें से कई, मसलन दक्षिण के दलों से लेकर मायावती और ममता तक, की कोई वैचारिक धुरी नहीं है और वे कांग्रेस और भाजपा दोनों का विरोध भी कर चुके हैं और उनके साथ गठबंधन भी। उनके विकल्प खुले रहेंगे। भाजपा और कांग्रेस दोनों को कुल मिलाकर 543 में से अधिकतम 350 सीट मिलेंगी। 300 से कम सीटों के साथ ही संभावनाओं की तलाश शुरू हो जाएगी। अगर सीटें 275 से कम रहीं तो ये दल खुलकर सामने आ जाएंगे। वे भाजपा के साथ भी जा सकते हैं।

दूसरा, सन 1971 में बड़े विपक्षी दलों के लिए कांग्रेस विरोध के नाम पर एकजुट होना संभव था, खासतौर पर हिंदीभाषी क्षेत्र में। आज, भाजपा विरोध है लेकिन कांग्रेस विरोधी भावनाएं भी हैं। खंडित जनादेश की स्थिति में 50 से कम सीट पाने वाले नेता भी गैर भाजपा, गैर कांग्रेस बनने का स्वप्न देख रहे हैं। इनमें सबसे मुखर हैं तेलंगाना के नेता केसीआर।

क्या कहता है गणित?

अगर भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर 250 से कम सीट पाती हैं तो इनमें से किसी एक के समर्थन के बिना अन्य दल 272 तक नहीं पहुंच सकेंगे। यानी हमें वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल जैसा अस्थिर प्रधानमंत्री मिलेगा।

चूंकि मोदी या राहुल गांधी के अलावा कोई नेता 50 सीट पाने की हालत में भी नहीं है इसलिए किसी गैर भाजपा, गैर कांग्रेस नेता को पांच साल क्या साल भर भी बरदाश्त शायद ही किया जाए। बिना नेता की शिवजी के बारात जैसी यह सरकार जल्दी गिर जाएगी। याद रहे कि जयप्रकाश नारायण जैसे संत भी सन 1979 में ऐसे जमावड़े को एकजुट नहीं रख पाए थे।

अगर विपक्ष बिना नेता के आगे बढ़ने पर जोर देता है तो मोदी को यही किस्सा दोहराना होगा और मतदाता उनको सुनेंगे। अगर वे नहीं भी सुनते तो भी खंडित जनादेश वाली सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी और अमित शाह बढ़चढ़कर दोहरा सकेंगे कि भाजपा 50 साल शासन करेगी।

कर वंचना के मामलों में अनावश्यक अतिरंजना

कराधान

सुकुमार मुखोपाध्याय

एक जमाने में मैं भी इस व्यवस्था का हिस्सा रह चुका हूं इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है कि विभागीय अधिकारी कर वंचना के मामलों को बढ़ाचढ़ाकर पेश करते हैं। दरअसल उनको ऐसे मामलों को बढ़ाकर प्रस्तुत करने का फायदा मिलता है। ऐसे चुनिंदा मामले ही सफल हो पाते हैं। फिलहाल मैं केवल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बारे में लिख रहा हूं और जिस हालिया घटना ने मुझे इस विषय पर लिखने के लिए उकसाया है वह है समाचार पत्रों में हाल ही में सामने आई चंद रिपोर्ट जिनमें कहा गया है कि कई स्थानों पर कर वंचना के मामले पकड़े गए हैं।

हाल ही में सेवानिवृत्त हुए एक वित्त सचिव ने 10 दिसंबर, 2018 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक आलेख में लिखा था कि एक लाख करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह के लिए 4 लाख करोड़ रुपये मूल्य के इनपुट क्रेडिट का निपटान किया जाता है। अगर इनपुट क्रेडिट की 10 फीसदी की लीकेज को रोक दिया जाए तो संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.4 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। 40 फीसदी कर वंचना का यह गणित दिलचस्प लेकिन खतरनाक अतिरंजना है। इनपुट क्रेडिट का समायोजन कभी 80 फीसदी नहीं होता बल्कि यह अधिकतम 50 प्रतिशत है। एशिया पैसिफिक टैक्स बुलेटिन 5 (1996) के पृष्ठ क्रमांक 143 के मुताबिक सन 1986 में यह प्रतिशत 11.72 फीसदी था जबकि 1995 में यह 36.66 फीसदी हो गया। ऐसे में यह वक्तव्य कि अगर इनपुट क्रेडिट के दुरुपयोग को रोक दिया जाए तो राजस्व में 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो जाएगी, सीधे तौर पर बढ़ाचढ़ाकर किया गया है।

वित्त राज्य मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत जानकारी (19 दिसंबर, 2018 को द हिंदू में प्रकाशित खबर) के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2018 के बीच 12,766 करोड़ रुपये के करवंचना के 3,196 मामले दर्ज किए गए। हमें यह समझना होगा कि ये मामले दरअसल हैं क्या। इनमें से अधिकांश मामले रिटर्न दाखिल करने में हुई गलतियों, रिटर्न न दाखिल करने आदि के कारण घटित हुए हैं। जीएसटी के नएपन और करदाताओं के रिटर्न फॉर्म के अभ्यस्त न होने के कारण ये दिक्कत पैदा हो रही थी। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित मसलों के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट में कंप्यूटर आधारित अंतर आया। ऐसे में क्रेडिट का आकलन पहले स्वआकलन के आधार पर करने की इजाजत दी गई है। हालांकि बाहरी आपूर्ति के मामलों में जीएसटीआर1 फार्म में इनवॉइस आधारित ब्योरे भरना जरूरी होता है। सिस्टम आधारित मिलान का क्रियान्वयन अभी होना बाकी है। ऐसे में अब पुरानी व्यवस्था का अनुसरण किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं रिटर्न की व्यवस्था को नए सिरे से डिजाइन किया जा रहा है। मैंने कुछ वर्ष पहले यूरोप में ब्रिटेन और नीदरलैंड की यात्रा की थी। इसके अलावा मैंने कनाडा की यात्रा की तो देखा कि वहां इनवॉइस मिलान की प्रक्रिया ऐसी नहीं है जैसी हमारे यहां। जिन्होंने इसे छोड़ने की कोशिश की उन्होंने खुफिया जानकारी आधारित धरपकड़ की प्रक्रिया अपनाई। इनपुट और आउटपुट के आंकड़ों का व्यवस्थित विश्लेषण पुराना और आजमाया हुआ तरीका है। इसकी सहायता से आसानी से यह पता लगाया जा सकता है कि किसी उद्योग में किस हद तक कर वंचना हो सकती है। ऐसे कई उद्योग हैं जिनमें इनपुट-आउटपुट का संबंध तयशुदा है। मोटर वाहन, वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर आदि ऐसे ही उद्योग हैं। ऐसे कई उत्पादन क्षेत्र हैं जिनका आसानी से प्रमाणन हो सकता है और जहां कर वंचना की कोई गुंजाइश नहीं है।

तत्कालीन राज्यमंत्री ने 5 सितंबर, 2012 को लोकसभा को बताया था कि वर्ष 2008 के बाद से करीब 18 प्रतिशत मामले पंचाट में सफल साबित होते हैं, करीब 30 फीसदी को उच्च न्यायालय में कामयाबी मिलती है और 9 प्रतिशत मामले सर्वोच्च न्यायालय में कामयाब होते हैं। परंतु लगता नहीं कि इससे कोई बड़ा अंतर आएगा।

यह बात सबको पता है कि पंजीकृत करदाताओं में से 3.67 फीसदी (एक लाख से भी कम) करीब 79.52 प्रतिशत कर चुकाते हैं। गहन अंकेक्षण से इनकी पहचान करना आसान है। एक अन्य तथ्य जो प्रासंगिक है, वह यह कि करीब 20 फीसदी कर सरकारी उपक्रमों द्वारा चुकाया जाता है। कई बड़ी और प्रतिष्ठित निजी कंपनियां मसलन टाटा, आदित्य बिड़ला, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सुंदरम क्लेटन, इन्फोसिस और विप्रो आदि ने कभी इनवॉइस में छेड़छाड़ नहीं की। मुझे यह बात इसलिए पता है क्योंकि मैं लंबे समय तक विभाग में रहा हूं। ऐसे में कहा जा सकता है कि कर वंचना वास्तव में उससे काफी कम है जितना कि उसके होने का शोर मचाया जाता है। कर वंचना के आंकड़ों को इतना बढ़ाचढ़ाकर पेश करना इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करता है। अगर यह मान लिया जाए कि इतनी अधिक कर वंचना होती है, जबकि वह सच नहीं है तो विभाग इनवॉइस के मिलान पर अनावश्यक जोर देने लगता है। यह अव्यावहारिक और अनावश्यक कदम है। इससे जीएसटी की किफायत पर बुरा असर पड़ता है।

निष्कर्ष: कर वंचना को बहुत बढ़ाचढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। यह जोखिम भरा है क्योंकि यह नीतियों पर गलत असर डालता है। अनावश्यक रूप से कड़े उपाय अपनाए जाते हैं। इसके लिए समझदारी से जांच और बेहतर अंकेक्षण पर्याप्त है। मेरा सुझाव है कि नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी को यह परियोजना दी जाए ताकि वह सही मायनों में पता लगा सके कि कितनी कर वंचना होती है।

(लेखक केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के सेवानिवृत्त सदस्य हैं। लेख में प्रस्तुत विचार निजी हैं।)

कानाफूसी

आम चुनाव में नए दावेदार

चुनावी मौसम गर्म होता जा रहा है और इस बीच टिकट चाहने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पिछले दिनों अस्पताल में भर्ती थे लेकिन वहां भी लोग लोकसभा चुनाव की अपनी दावेदारी उनके सामने पेश करने से नहीं चूक रहे थे। भाजपा के सामने एक विचित्र समस्या आन खड़ी है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता कह चुके हैं कि वे आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में उन नेताओं की सीट के कई दावेदार सामने आने लगे हैं। उत्तराखंड में यह समस्या ज्यादा गंभीर है। वहां भाजपा के पांच सांसदों में से दो भुवनचंद्र खंडूड़ी और भगत सिंह कोश्यारी कह चुके हैं कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के विदिशा से सांसद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और झांसी से सांसद उमा भारती भी कह चुकी हैं कि वे 2019 में चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके उलट कांग्रेस में मामला अलग है। पार्टी प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि वह मुंबई से चुनाव लड़ना चाहती हैं। महाराष्ट्र के पार्टी नेता अशोक चव्हाण विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और अपनी पत्नी को नांदेड़ लोकसभा सीट से लड़वाना चाहते हैं। तमिलनाडु में जहां द्रमुक नेता स्टालिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पसंद बता चुके हैं, वहीं संभव है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को तमिलनाडु से राज्यसभा में भेजा जाए। असम से उनकी सदस्यता अगले वर्ष समाप्त हो रही है और इस संबंध में उन्हें पेशकश की जा चुकी है।

आपका पक्ष

देश में खेलो इंडिया क्यों जरूरी

सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्त्वपूर्ण एवं सराहनीय कदम खेलो इंडिया 2019 है। इसकी मेजबानी महाराष्ट्र द्वारा की जा रही है। खेलो इंडिया गहरे समुद्र से हीरे निकालने जैसी एक पहल है। आज गांव के बच्चे इतने काबिल हैं कि अगर उन्हें सही जगह और अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए तो वे बेहतर खिलाड़ी बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बच्चों को खेलो इंडिया तक कैसे पहुंचाया जाए। वर्तमान में करीब 24 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 10,000 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। खेलो इंडिया को सफल बनाने के लिए हमें राज्य सरकार एवं निचले स्तर पर स्कूलों की मदद की जरूरत होगी। वर्तमान समय में ऐसे बहुत से स्कूल हैं जो बच्चों की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा के लिए अतिरिक्त अध्ययन कराते हैं। स्कूलों का लक्ष्य यह रहता है कि उनके बच्चे जिले या राज्य का

खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र पहले स्थान पर तथा हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा

टॉपर बनें। लेकिन ऐसे स्कूल यह नहीं सोचते कि खिलाड़ी भी किसी एक स्कूल से खेलते हुए निकलते हैं। अगर इन स्कूलों के खेल के मैदान की बात करें तो 100 गुना 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल का मैदान होता है। उस धूल भरे मैदान में पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक के 900 से 1,200 बच्चे बगैर किसी प्रशिक्षक के खेलते हैं। लेकिन जब उन स्कूलों पर अगर खेल का दबाव आता है तो वैसे ही बच्चों को टीम बनाकर भेज देते हैं। ऐसे बच्चे जिला स्तर तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उन्हें उचित प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। इससे बच्चे प्रतिस्पर्धा में काफी देर टिक नहीं पाते और हार जाते हैं। जब तक स्कूलों में खेलो इंडिया नहीं होगा तब तक खेलो इंडिया अभियान अधूरा रहेगा। स्कूलों में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए खेलो इंडिया अभियान जरूरी है। यह एक ऐसी पहल है जिससे हम विश्व चैंपियन भी बन सकते हैं। भारत की खेलो इंडिया पहल अंतरराष्ट्रीय अभियान भी बन सकती है।

देवी सिंह घोषी, जैसीनगर

कीमतों में भारी छूट पर भी रहे नजर

केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स द्वारा विशिष्ट बिक्री और कीमतों में भारी छूट पर अंकुश लगाने के लिए हाल में दिशानिर्देश जारी किए हैं। इससे खुदरा कारोबारी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा पीछे रास्ते से इस अंकुश का तोड़ निकाले जाने का डर सता रहा है। कारोबारियों का कहना है कि ई-कॉमर्स कंपनियां कीमतों में छूट पर अंकुश का तोड़ रॉयल्टी, रिवॉर्ड, पुराने मोबाइल बदलने में इसका अधिक मूल्य निर्धारण कर निकाल सकती है। इस तरह विशिष्ट बिक्री पर अंकुश का तोड़ देश के बड़े खुदरा स्टोर मसलन रिलायंस ट्रेंड, टाटा क्रोमा आदि से विशिष्ट बिक्री के लिए अनुबंध कर निकाल सकती है। अभी भी इन स्टोरों में विशिष्ट बिक्री अनुबंध से बिक्री की जा रही है। ऐसे में नए दिशानिर्देशों के बाद ई-कॉमर्स कंपनियां इन स्टोरों पर अधिक जोर दे सकती है। ऐसे में बेहतर ई-कॉमर्स नीति के लिए पीछे के रास्ते से अनैतिक कारोबारी गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए जिससे खुदरा कारोबारियों को राहत मिल सके।

नीलेश जैन, फरीदाबाद

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।